उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन

विज्ञापन संख्या– 5666 उप्राशिप/लो0स0वि0भ0–2013 दिनांक 9/1/2013 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि–16/1/2013
आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि – 8/2/2013

महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, 12 ई.सी. रोड़ देहरादून के द्वारा प्रेषित अधियाचन सं0 1066/सू.एवं.लो.सं.वि.(प्रशा.) 07/2005 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में अनुवादक, फोटोग्राफर, कैमरामैन, कनिष्ठ कैमरामैन, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं संवीक्षक के कुल 25 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 'आवेदन पत्र' का प्रारुप उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाईट **www.ubter.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की द्वारा दी जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी को परिषद द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र पर दिये गये विकल्प के आधार पर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा।

1. रिक्तियों की संख्या : रिक्तियों की कुल संख्या 25 है। जिसमें अनुवादक–03, फोटोग्राफर–03, कैमरामैन–03, कनिष्ठ कैमरामैन–04, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी–07, संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर–03 एवं संवीक्षक के 02 पद सम्मिलित है। रिक्तियों का क्षैतिज आरक्षणवार विवरण निम्नवत हैः–

पद कोड	पदनाम वेतनमान	रिक्तियों की संख्या	अनिवार्य अर्हता/अधिमानी अर्हता
1	**अनुवादक** 9300–34800, ग्रेड पे–4200	3 (सामान्य–1, सामान्य महिला–1, अनुसूचित जाति–1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, उत्तीर्ण होना चाहिये। **अधिमानी अर्हता–** अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक उपाधि।
2	**फोटोग्राफर** 9300–34800, ग्रेड पे–4200	3 (सामान्य–1, सामान्य महिला–1, अनुसूचित जाति–1)	1. इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. छायाचित्र और चल–चित्र कैमरा परिचालन में पांच वर्ष का अनुभव और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से छायाचित्र या चलचित्र फोटोग्राफी (मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी) में डिप्लोमा या उपाधि। 3. छायाचित्र या चल–चित्र फोटोग्राफी (मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव)।
3	**कैमरामैन** 9300–34800, ग्रेड पे–4200	3 (सामान्य–1, सामान्य महिला–1, अनुसूचित जाति–1)	1. इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. छायाचित्र और चल–चित्र कैमरा परिचालन में पांच वर्ष का अनुभव और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से छायाचित्र या चलचित्र फोटोग्राफी (मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी) में डिप्लोमा या उपाधि। 3. छायाचित्र या चल–चित्र फोटोग्राफी (मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव)।
4	**कनिष्ठ कैमरामैन** 5200–20200, ग्रेड पे–2400	4 (सामान्य–2, सामान्य महिला–1, अनुसूचित जाति–1)	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड/ उत्तरप्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी या प्रतिष्ठित संस्था से छायाचित्र/चलचित्र कैमरा (मूवी कैमरा) परिचालन का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव
5	**अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी** 5200–20200, ग्रेड पे–2800	7 (सामान्य–3, सामान्य महिला–1, अनुसूचित जाति–1, अनुसूचित जाति महिला–1, अ0पि0वर्ग–1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, रखता हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो उत्तीर्ण होना चाहिए। **अधिमानी अर्हताः–** हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक।
6	**संरक्षक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर** 5200–20200, ग्रेड पे–1900	3 (अनुसूचित जाति–1, अ0पि0वर्ग–1, अ0पि0वर्ग महिला–1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो। **अधिमानी अर्हताः–** डिपार्टमेन्ट आफ इलेक्ट्रानिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेज, से कम्प्यूटर में न्यूनतम ओ (O) स्तर का प्रमाण पत्र धारक
7	**संवीक्षक** 5200–20200, ग्रेड पे–2800	2 (सामान्य–1, अनुसूचित जाति–1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, रखता हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, उत्तीर्ण होना चाहिए। **अधिमानी अर्हताः–** हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक।

2. अनिवार्य/वांछनीय तथा अधिमानी अर्हताः (एक) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

(दो) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा। (कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना सं0–1840/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 08–12–2010)

(तीन) सेवा में किसी पद के लिए निर्धारित अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक एवं प्राविधिक तथा अधिमानी अर्हताएं उपरोक्त तालिका के अनुसार हैं।

3. राष्ट्रीयताः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या होना चाहिए या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

4. चरित्रः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. वैवाहिक प्रास्थितिः सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

6. शारीरिक स्वस्थताः किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

7. पेंशनः शासन की अधिसूचना संख्याः 21/XXVII(7) अं0पे0यो0/2005 दि015 अक्टूबर 2005 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के पेंशन के सम्बन्ध में **''अंशदान पेंशन योजना''** के प्राविधान लागू होंगे।

8. आरक्षणः उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षणवार पदों की संख्या उपरोक्त तालिका में अंकित की गयी हैं।

(क) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शा0सं0–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दि0 18 जुलाई 2001, शा0सं0–589/कार्मिक–2/2002 दि021 जुलाई 2002 तथा शा0सं0–1966/XXX(2)/2006 दि0 24 जुलाई 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

नोटः– यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के **परिशिष्ट–1** में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख परिशिष्ट–1 में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो तो वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी के पुष्टि व अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर ही प्रस्तुत किया जाय।

9. आयु सीमा : 1 जनवरी 2013 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(1) **अधिकतम आयु सीमा में छूट** : (क) शा0सं0–1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग** के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग/निःशक्त** अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्याः 1673/ XXX (2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर 2010)।

उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या 1244/ XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)।

(ग) उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिक** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

(घ) राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तराखण्ड के **कुशल खिलाड़ियों** के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शा0सं0–22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985)।

(ड.) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित सभी आंदोलनकारियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी। (शा0सं0–1270/तीस–2/2004 दि011 अगस्त 2004, शा0सं0:776/XX(4)-26/उ0आन्दो0/ 2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008), शा0सं0:777/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008) तथा शा0सं0:637/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006/09 (गृह अनुभाग–4) दि0 13 अगस्त 2010)।

नोटः– जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे अन्यथा उच्चतम् आयु सीमा मे छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

10. आवेदन–पत्र शुल्क : उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 548/XXX(2)/2012/55(35)2012 दिनांक 22.06.2012 के कम में समस्त श्रेणियों के अभ्यथियों को आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। परम्परागत् आवेदन पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–2** पर परिषद् की वेबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है।

11. चयन परीक्षा तथा प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रमः (एक) पदों हेतु चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ज्ञान पर आधारित तथा 50 प्रश्न संबंधित 'पद' हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे।

लिखित परीक्षा दो घण्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में एक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक व अधिकतम् 15 अंक दिये जायेंगे। परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट तथा उत्तर शीट की कार्बन प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1420/xxx(2)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर 2011 के अनुपालन में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा।

यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम प्रवीणता सूची में ऊपर रखा जायेगा और लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने की दशा में अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जायेगा। अन्तिम चयन सूची परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

12. 'छंटनीशुदा कर्मचारी' की परिभाषाः ''छंटनीशुदा कर्मचारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है–(एक) जिनसे राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन, किसी पद पर स्थायी , अस्थायी रूप में मौलिक रूप में, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए निरन्तर सेवा की हो, (दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और (तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं होगा।

13. परीक्षा केन्द्रः– लिखित परीक्षा प्रदेश के 2 जनपदों देहरादून एवं उधमसिंह नगर में आयोजित करायी जायेगी।

परीक्षा शहर	कोड
देहरादून	01
उधमसिंह नगर	02

सभी अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्ते पूरी करते हैं। **परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से यह नहीं माना जायेगा कि अभ्यर्थी आवश्यक निर्धारित अर्हता प्राप्त करते हैं।** जो अभ्यर्थी स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों अथवा जिनका परीक्षाफल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त न हुआ हो, वे आवेदन न करें।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने हाथों से भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के लिए **केवल काले अथवा नीले रंग के बॉल प्वाइन्ट पेन** का प्रयोग करना चाहिए।
3. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उपश्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी परिषद् की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
6. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए (जो लागू हों) तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
7. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। समाचार पत्रों की कटिंग पर प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में बाद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन का अनुरोध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
9. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा परिषद् के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो परिषद् उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
10. एक लिफाफे में एक से अधिक पद के लिए आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा उसका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जायेगा।

11. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।
12. पदों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र' में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
13. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।
14. दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 20 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा। (शा0सं0–320/XXX(2)/2011 दि018 मार्च 2011)।
15. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परिषद् द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
16. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर परिषद् द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी भी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
17. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
18. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु तैनात स्टॉफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
19. अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करे तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
20. एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से परिषद् द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–

    (i) यदि वह किसी भी प्रकार से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करता है, अथवा (ii) नाम बदलकर परीक्षा देता है, अथवा उत्तर पत्रक OMR Sheet/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरता है अथवा (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (iv) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करता हो जिनमें फेरबदल किया गया हो, अथवा (v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हों या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई हो, अथवा (vi) अपने चयन के लिए अभ्यर्थन हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो, अथवा (vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, अथवा (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार दुर्व्यहार किया हो, (जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, उत्तर पुस्तिका लेकर कक्ष से भाग जाना ,परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है), अथवा (x) परीक्षा संचालन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा (xi) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यन्त्र का प्रयोग करते हुए या उसके पास पाया जाता है, अथवा (xii) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्ररेणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे –

    (क) परिषद् उस चयन से, जिसका वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा

    (ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है–

    (1) परिषद् द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से, (2) राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से।

    (ग) यदि वह सरकार/सरकारी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

21. परिषद् से किए जाने सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
22. यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से परिषद् को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
23. निम्नलिखित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा–

    (क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल/अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र। (ख) अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ स्वप्रमाणित, आवेदन पत्र के निर्धारित फार्मेट पर चिपका हो तथा फोटो के नीचे अभ्यर्थी द्वारा पठनीय हस्ताक्षर भी किए जायें। (ग) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों एवं विशिष्ट खिलाड़ियों के मामले में क्रमशः शासनादेश संख्या–22/21/1983 कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर,1985 व शासनादेश संख्याः 2461/XXX (2)/2002, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 तथा शासनादेश संख्या–136/XXX (2)/2009, दिनांक 27.02.2009 के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा। (घ) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट–.1** में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। (शासनादेश सं0 590/XVII/-3/12-05(O.B.C.)/2010 समाज कल्याण अनुभाग–03 दिनांक 30 मई 2012 के अनुसार।)

24. परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा और परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

25. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

26. परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश–पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र आवंटन के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

27. **जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।**

28. **उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद परिषद् द्वारा अन्तिम चयन के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अथवा अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

29. **आवेदन पत्र का अग्रसारण :–**अभ्यर्थी 9" x 12" साईज के लिफाफे में आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित रखकर **सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला परिसर, देहरादून**'' के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करें। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 08 फरवरी 2013 है। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा।

30. **परिषद् द्वारा संपादित की जा रही परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन नितान्त औपबन्धिक होगा तथा चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप से संबंधित विभाग द्वारा सम्पन्न किया जायेगा एवं प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।**

31. जो अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य के किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों मे सेवारत हैं उन्हें आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

32. **अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र एवं स्पीड पोस्ट की रसीद की छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें। प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परिषद् कार्यालय में उक्त दोनों अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।**

सचिव